न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र संख्या 62/2025 (GCMS : 2025/79)

विशाल सिंगला पुत्र श्री पवन कुमार सिंगला निवासी 104 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

बनाम

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड

05.03.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री अभिजीत सिद्ध उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा आई.सी.आई.सी.आई बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अपनी अचल सम्पत्ति भूखण्ड संख्या ई–295, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय चरण रीको, श्रीगंगानगर को बैंक के पास बंधक रखा गया था। जिस पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा वित्तियों आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा के तहत, प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने को आदेश दिनांक 16.01.2025 को पारित किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके द्वारा प्लॉट संख्या ई–294, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय चरण रीको, श्रीगंगानगर पर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया गया था और प्लॉट संख्या ई–295 ए, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग विहार, द्वितीय चरण रीको, श्रीगंगानगर पर किसी प्रकार का कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन है कि प्लॉट संख्या ई–294, ई–295 पर उनके द्वारा एक फैक्ट्री संचालित की जा रही है और प्लॉट संख्या ई–295 पर धर्मकांटा

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

संचालित है। उक्त समस्त प्लॉट का एक ही गेट है, जो कि प्लॉट संख्या ई–295 में खुलता है। यदि उनके प्लॉट संख्या ई–295 को बैंक द्वारा बंद कर दिया जाता है तो उनका प्लॉट संख्या ई–294 में भी जाने का रास्त बंद हो जाएगा और उनके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्लॉट संख्या ई–294 पर स्थगन आदेश भी प्राप्त किया हुआ है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उनके उक्त प्लॉट संख्या ई–294, 295 एवं 295ए का जब तक सीमांकन या विभाजन ना हो जाये, तब तक उक्त प्लॉट संख्या ई–295 पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही न की जाने की प्रार्थना की है।

मैनें, प्रार्थी के अधिवक्ता को एडमिशन बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि आई.सी.आई.सी.आई बैंक द्वारा धारा 14 सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत अभी तक प्रार्थीगण मैसर्स पंजाब फ्यूलस, गोल्डी गुप्ता एवं राम नारायण गुप्ता के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, **विशाल सिंगला के विरूद्ध प्रार्थी बैंक द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।** हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु तय किया जाना है कि क्या प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध मे **वित्तिय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 17 का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार से है :**

17. Right to Appeal :

(1) Any Person **(including Borrower),** aggrieved by any of the measures referred, to in sub-section (4) of section 13 taken by the secured creditor or his authorized officer under this chapter [may make an a... alongwith such fee, as maybe prescribed] to the Debts Recovery Tribunal having jurisdiction in the matter within 45 days from the date on which such measure had been taken.

(2) ....

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

चूंकि सरफेसी एक्ट 2002 एक विशिष्ट अधिनियम है और इस अधिनियम की उक्त धारा 17 के तहत Debts Recovery Tribunal के समक्ष ही प्रार्थना पत्र/अपील पेश करने का प्रावधान है। ऐसा ही मत **माननीय उच्च न्यायालय राज. जोधपुर द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त 2016(4) डीएनजे(राज.) 1814 राज. हाईकोर्ट अनवानी पंकज कुमार डगरिया एवं अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर एवं अन्य में दिया गया है,** जिसके पैरा 15, 16, 17 में निम्न व्यवस्था दी गई है:—

15. The Division Bench of Bombay High Court after taking into consideration its earlier pronouncements as well as the decision o Hon'ble Supreme Court on the point in issue has held that the action of the District Magistrates and Chief Metropolitan Magistrates of issuing notices to the borrowers, guarantors or any other person providing them opportunity of hearing or allowing them to file objections is contrary to law laid down by the Hon'ble Supreme court and various other high courts.
16. I am in perfect agreement with the law laid down by the Bombay High Court in above referred decisions. More over, as per the decision of Hon'ble Supreme Court in United Bank of India Vs. Satyawati Tondon & Ors., (Supra), the petitioners have an alternate remedy to file an appeal under Section 17 of the Act of 2002 against any order passed by the District Magistrate on the application under Section 14 of the act of 2002 filed by the respondents.
17. In view of the above discussions, reliefs prayed for by the petitioners in this petition cannot be granted. Hence, the instant writ petition fails and is hereby dismissed.

There Shall be no order as to costs.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उक्त अधिनियम एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार प्रार्थी को किसी प्रकार से प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कानूनी प्रावधान विद्यमान नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु ग्रहण करने योग्य नही होने के कारण, एडमिशन के बिन्दु पर खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:49:10 IST
Reason: SelfAttested